

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रामपंचायत

विधायक सभा

जनपद-

मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत में दिनांक ०८/६/२०२३ को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूति किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

१- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों की रूप में नियमित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (गाडिला / अनुसारी / उन्नति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन) अंक	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / को-प्राध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूचि मोबाइल नं
१	शुद्धा सूर्योदयी	अनुसारी ३५५	अध्यक्ष	
२	धर्मराज	अनुसारी ५४	अध्यक्ष	९४५१८२१३७९
३	अनीता देवी	" ५	सचिव	९७९३११३५९९
४	सुनीता देवी	" ५	को-प्राध्यक्ष	७२३६९१८८९९
५	प्रनेमलाल देवी	" ३०	सामान्य सदस्य	९५०६०२५३११
६	दीना देवी	" ४८	सामान्य सदस्य	८४०१२८६९२०
७	सु-झूटी	" ५२	सामान्य सदस्य	९७९५५७८०५
८	रीता देवी	" ४३	सामान्य सदस्य	
९	सु-रीता देवी	" ३०	सामान्य सदस्य	
१०	राधेश प्रभास	" ५२	सामान्य सदस्य	८७३९०४४३
११	बाबला	" ५६	सामान्य सदस्य	८४३७९५८
१२	दीप्ति कुमार	" २०	सामान्य सदस्य	९९६०९०७०
१३	भास्मा नारायण	" २१	सामान्य सदस्य	९९७०३१३६
१४	रमेश कुमार	" ४८	सामान्य सदस्य	
१५	सुरा-प-५	" ३६	सामान्य सदस्य	७३०९६५५
		" ४९	सामान्य सदस्य	

२- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य धिक्कास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल स्वच्छता विभाग / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता रामिति एवं जिला प्रबन्धन स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपकरने की अनुमति दी गयी है।

३- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

४- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्ति की स्थिति में उद्यित कार्यवाही करें।

- 5- पर्यावरण की धन्दशि के प्रबन्धन हेतु याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैक में खाता खोलने एवं उसके संगतान की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के सार पर नियमानुसार एवं आवश्यकानुसार मुकाबला करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता रजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय समझी का उपायजन कर उपलब्ध कराये तथा उस समझी की गुणवत्ता को गुनिरिक्षित करें।
- 9- याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समर्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल यातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपरोक्ताओं की शिक्षायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तेजार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति का निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर प्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संधालन प्रबन्धन एवं अधिकारी जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।
- याम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्णय
1	उमा सुराहा	अध्यक्ष	निर्णय अगूठो
2	प्रभराहा	सचिव	उमा सुराहा
3	भर्तीराम	कोषाध्यक्ष	उमीरा
4	सुनील उमा	सामान्य सदस्य	सुनील
5	प्रियंका उमा	सामान्य सदस्य	प्रियंका
6	दीपा उमा	सामान्य सदस्य	दीपा
7	संजु उमा	सामान्य सदस्य	संजु
8	सीता उमा	सामान्य सदस्य	सीता
9	उमीरा	सामान्य सदस्य	उमीरा
10	राधाकृष्णन	सामान्य सदस्य	राधाकृष्णन
11	बबल	सामान्य सदस्य	बबल
12	दीपक उमा	सामान्य सदस्य	दीपक
13	लक्ष्मी नारायण	सामान्य सदस्य	लक्ष्मी नारायण
14	रमेश उमा	सामान्य सदस्य	रमेश
15	कुलंनद	सामान्य सदस्य	कुलंनद